प्रेस विज्ञप्ति

23.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 22.09.2025 को मोहम्मद सुहैल उर्फ माइकल को गिरफ्तार किया है। गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से ज़मीन हड़पने वाले एक गिरोह के कथित सरगना मोहम्मद सुहैल को कोलवले सुधार गृह से गिरफ्तार किया गया, जहाँ वह पहले से ही एक अन्य अपराध के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में था। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मर्सेस के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी ने गोवा पुलिस की विशेष जाँच टीम (एसआईटी – ज़मीन हड़पना) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उसके बाद दायर आरोप पत्र के आधार पर जाँच शुरू की। मोहम्मद सुहैल, उनकी पत्नी अंजुम शेख और उनके सहयोगी नूर फैजल भटकर के खिलाफ धोखाधड़ी, मूल्यवान प्रतिभूतियों की जालसाजी और जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने जैसे अपराधों के लिए आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस मामला दर्ज किया गया था।

ईडी की जाँच से पता चला है कि मोहम्मद सुहैल गोवा में कई संपत्तियों के अवैध अधिग्रहण में शामिल एक गिरोह का सरगना था। यह जाँच एक शिकायत पर आधारित है जिसमें मोहम्मद सुहैल और उसके साथियों ने कथित तौर पर एक फर्जी कानूनी उत्तराधिकारी बनाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र में हेराफेरी की। फिर उन्होंने अंजुना में एक संपत्ति अवैध रूप से हासिल करने के लिए धोखाधड़ी से उत्तराधिकार विलेख तैयार किया, जिसे बाद में 50 लाख रुपये में बेच दिया गया, जिससे अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) अर्जित हुई।

पीएमएलए के तहत जांच ने एक गहरी साजिश और एक सुसंगत कार्यप्रणाली को उजागर किया है। मोहम्मद सुहैल अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके खाली संपत्तियों की पहचान करता, दस्तावेजों में जालसाजी करता और फर्जी स्वामित्व इतिहास बनाने के लिए सरकारी विभागों के रिकॉर्ड में हेरफेर करता। फिर इन संपत्तियों को अवैध रूप से अपने सहयोगियों के नाम पर बदल दिया गया और बाद में बेच दिया गया। एक संबंधित मामले में, जिसमें मोहम्मद सुहैल मुख्य आरोपी है, ईडी पहले ही लगभग 232.73 करोड़ रुपये मूल्य की 52 अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर चुका है और मोहम्मद सुहैल और 35 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। उस जांच के दौरान, मोहम्मद सुहैल ने खुद 100 से अधिक संपत्तियों के अवैध अधिग्रहण में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया था।

उनकी गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिससे ईडी को उनसे पूछताछ करके धन के स्रोत का पता लगाने, पीओसी के अंतिम उपयोग की पहचान करने और इस व्यापक घोटाले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने में मदद मिलेगी।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।